

राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा  
निर्वाचन सदन प्लाट नं० २, सैकटर १७, पंचकूला

अधिसूचना

क्रमांक: रा०नि०आ०/३ई-११/२०१०/४२७२

दिनांक: १६.०६.२०१०

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा अपनी अधिसूचना क्रमांक  
रा०नि०आ०/३ई-११/२००९/३९० दिनांक २९.१०.२००९ जिस द्वारा  
पंच/सरपंच/सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव लड़ने वाले  
उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रतीकों की सूची जारी की गई है, में निम्न प्रकार  
से संशोधन करने का आदेश देता है:-

“श्रेणी (ग) जिला परिषद सदस्यों के लिए आजाद उम्मीदवारों के  
चुनाव प्रतीक में कम संख्या “१७ पर दर्शाये टोप चुनाव प्रतीक” का  
विलोपन किया जाता है”

आदेश द्वारा

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

पृ० क्रमांक: रा०नि०आ०/३ई-११/२०१०/४२७३

दिनांक १६.०६.२०१०

एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

१. वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एंव पंचायत विभाग, चण्डीगढ़।
२. आयुक्त मण्डल, अम्बाला, रोहतक, हिसार व गुडगांव।
३. निदेशक, विकास एंव पर्यायत विभाग, हरियाणा।
४. सभी उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) हरियाणा राज्य।  
उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त के सन्दर्भ में सभी  
आर०आ०/ए०आर०आ० को सूचित किया जाये तथा इस प्रतीक को  
आबंटित न करने के निर्देश दिये जायें।
५. सभी जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी (पंचायत) हरियाणा राज्य।
६. सभी खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य।
७. सभी राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय राजनैतिक दल।

हस्ता/-

(परमाल

सिंह)

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा

पृ० क्रमांक रा०नि०आ०/३ई-११/२०१०/४२७४

दिनांक: १६.०६.२०१०

एक प्रति नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़  
को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जाती है।

आपसे अनुरोध किया जाता है कि अधिसूचना की १० प्रतियां पृष्ठाकंन  
सहित राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लाट नं० २, सैकटर  
१७, पंचकूला को सूचनार्थ तथा प्रमाणित हेतू भेजी जायें।

हस्ता/-

(परमाल सिंह)

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा